न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/15/17	13–06–2017	20–02–2018

1–हजारी पुत्र साधूराम जाति अहीर उम्र करीब 65 साल निवासी राजपुरा सिखान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

–प्रार्थी

बनाम

1– मुरलीधर पुत्र अर्जन जाति अहीर उम्र करीब साल निवासी राजपुरा सिखान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
2– अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर
3– सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग थानागाजी
4– रामकरण पुत्र साधू
5– रामकुमार उर्फ जय सिंह पुत्र जयनाराण
6– यादराम पुत्र सूण्डा
7– सुरेश पुत्र हजारी
8– नरेन्द्र पुत्र हजारी
9– शिम्भू पुत्रान हजारी जातियान अहीर निवासीयान राजपुरा सिखान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्रीराम बहादुर सिंह तंवर –वकील प्रार्थी

02. श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

20.2.18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के न्यायालय में विचाराधीन प्राथर्नापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण बअनुवानी मुरलीधर बनाम अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी में अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 09.05.2017 को एक दावा व निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र पेश कर प्रार्थी व तरतीबी प्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर आगामी दिनांक 13.07.2017 लगाई गई। अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व में दिनांक 02.05.2017 को प्रहलाद बनाम सरदार के नाम से एक दावा बटवारा एवं स्थगन प्रार्थनापत्र पेश किया जिसमें एक पक्षीय स्थगन जारी कर आगामी तारीख 28.07.2017 नियत कि गई। दोनो दावें प्रहलाद व मुरलीधर अहीर निवासी राजपुरासिंह के द्वारा पेश किये गये, ये दोनो सगे भाई है। उक्त दोना दावों में विवादित आराजी खसरा न0 103, 104 व 105 कुल किता 3 रकबा 0.22 है0 है। दिनांक 20.04.1998 को प्रहलाद के पिता अर्जन द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर के फैसले में राजीनामा पेश कर दिनांक 29.03.1996 को राजीनामा कर लिया था, जिसमें तात्कालीन सभी साझेदारों ने विवादित आराजी में 12 फुट का रास्ता मांगते हुए न्यायालय में लिखित सहमती पेश कि उक्त रास्ते पर पूर्व से ही ग्रेवल रोड़ बनी हुई थी, जो

आज भी चालू है। उक्त रास्ते में तरतीबी अप्रार्थी संख्या 01 व 02 सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 12.04.2017 को सी0सी0 रोड़ बनाने के आदशे प्रदान किये। सी0सी0रोड़ का कार्य ठेकेदार द्वारा चालू किया गया। अप्रार्थीगण व उसके सगे भाई जिन्होने विवादित आराजी पर अपने हिस्से पर मकान बना रखा है, तथा उस पर निवास कर रहे है। प्रार्थी व उसके भाई कर्नल रामकरण वगै0 से रंजिश के कारण सड़क का कार्य रूकवाने हेतु दिनांक 02.05.2017 को बंटवारें का दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा एक पक्षीय प्राप्त किया गया उनके पिता द्वारा न्यायालय से पिछले राजीनामें के तथ्य को छिपाकर वाद पेश किया गया। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां अपील पेश कर आदेश दिनांक 02.05.2017 को निरस्त करवा दिया, तथा दोनो पक्षों को दिनांक 15.05.2017 को अधीनस्थ न्यायालय थानागाजी के समक्ष पेश होकर मामले कि बहस हेतु नियत किया गया। उक्त आदेश कि सूचना उपखण्ड अधिकारी थानागाजी को दिनांक 06.05.2017 को दे दी गई। जब अप्रार्थी संख्या 01 व उसके भाई प्रहलाद को स्टे रोकने की जानकारी हुई। प्रहलाद अपने सगे भाई मुरलीधर से एक नया दावा 09.05.2017 को उपखण्ड अधिकारी थानागाजी में पेश कर उसमें सार्वजनिक निमार्ण विभाग को पार्टी बनाकर पुनः सभी तथ्यों को छिपाकर एक पक्षीय स्थगन जारी करा लिया। विवादित आराजी में सभी संबंधित पक्षकारों को पूर्व में दिये स्टे खारीजों ने व दिनांक 15.05.2017 को पुनः सुनने बाबत जानकारी थी, फिर भी स्टे का स्थगन में आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.07.2017 नियत कर दी गई। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को नये दावें दिनांक 09.05.2017 कि जानकारी हुई तो दिनांक 10.05.2017 को एक प्रार्थना पत्र तरतीबी अप्रार्थी कर्नल रामकरण द्वारा नजदीक तारीख करने बाबत पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने 16.05.2017 चांदपुरी राजस्व कैम्प में लगाई गई, वहां स्थगन प्रार्थना पत्र बहस सुनकर पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 27.05.2017 नियत कि गई। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः बहस हेतु दिनांक 30.06.2017 नियत कर दि गई, तथा जो स्टे पूर्व में दिनांक 13.07.2017 तक दिया हुआ था, उसे दौबारा बढ़ा दिया गया। समस्त तथ्य दर्शाते है। कि अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को न्याय मिलने कि संम्भावना नही है। अधीनस्थ न्यायाल अप्रार्थी संख्या 01 को अनुचित लाभ पहुंचाना चाहता है। प्रहलाद पुत्र अर्जन जो अप्रार्थी संख्या 01 का सगा भाई है, के द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में एक निगरानी राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 05.05.2017 के विरूद्व पेश किया जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा दोनो पक्षो को सुनकर 30 दिवस में प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश पारित किये गये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी निर्णयों को नजरअदांज करके पत्रावली पुनः बहस हेतु 30.06.2017 नियत की गई जिससे यह साफ जाहिर व साबित होता है, कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 01 को अनुचित लाभ पहुंचाना चाहता है। उक्त आधार पर प्रकरण किसी अन्य न्याायालय में स्थानान्तरित किया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की एस0डी0ओ0 साहब से कोई बातचीत नही हुई है। समस्त तथ्य मनगढंत, बनावटी है। प्रार्थना पत्र बिना किसी युक्तियुक्त कारण के महज प्रकरण लम्बित करने के लिए पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित आक्षेप कल्पित रूप दर्ज किये है, जिनका कोई सम्बन्ध नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए व उसकी प्रक्रिया का नाजायज रूप से फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

30.2.18

हमनें पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेंजात एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी उप खण्ड अधिकारी थानागाजी ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.04.1998 व दिनांक 29.03.1996 को राजीनामा करने का उल्लेख दिया गया है। जिसे प्रार्थी स्वंय सिद्व करे बिन्दु संख्या 06 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने निवेदन किया की दिनांक 15.05.2017 को अप्रार्थि संख्या 03 लगायत 09 द्वारा जवाब दरख्वास्त पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16.05.2017 नियत कि गई। दिनांक 16.05.2017 को पत्रावली लोकअदालत कैम्प चांदपुरी में पेश हुई दोनो वकील उपस्थित हुए दोनो पक्षों ने सहमती से आगामी पेशी दिनांक 27.05.2017 वास्ते बहस ली गई। दिनांक 13.07.2017 को कोई पेशी नहीं लगाई गई। बिन्दु संख्या 07 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने निवेदन किया की दिनांक 16.05.2017 को चांदपुरी राजस्व कैम्प में पत्रावली पेश हुई, दोनो पक्षों की सहमती से आगामी पेशी दिनांक 27.05.2017 वास्ते बहस

नियत की गई। दिनांक 27.05.2017 को वकील प्रार्थी मुरलीधर द्वारा बहस को मौका चाहा अंतिम मौका दिया गया। वकील अप्रार्थी रामकरण वगै0 की बहस सुनी गई। वास्ते बहस वकील प्रार्थी दिनांक 30.06.2017 नियत कि गई। बाकी तथ्य मनगढंत व झूठे है। प्रकरण में दिनांक 30.06.2017 आगामी तारीख पेशी वास्ते बहस नियत थी, इससे पूर्व श्रीमान् के न्यायालय से दिनांक 15.06.2017 को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण प्राप्त हो गया। उक्त प्रार्थनापत्र के प्राप्त होने पर समस्त कार्यवाही स्थगित कर दी गई। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 10.05.2017 द्वारा पक्षकारान को सुनकर धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र को 30 दिवस में निर्णित करने का आदेश दिया गया है। विचाराधीन प्रार्थनापत्र बाबत मुन्तकिली प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.06.2017 को पेश किया है। निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय को समुचित समय प्रार्थी द्वारा नही दिया गया है। यदि पत्रावली में लम्बी तारीख दी गई थी, तो शीघ्र सुनवाई का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा सकता था, परन्तु पत्रावली पर यह कथन भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिल सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी थानागाजी को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20–02–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.2.18

(बी.एल.रमण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)